संख्या– 159/प0अ0/2004–322 पर्य0/2001

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पर्यटन अनुभाग– देहरादून:दिनांक 9 मार्च, 2004

विषय–टैम्पल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टिहरी गढ़वाल के मन्दिरों के प्रबन्ध हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिये अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, टैम्पल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टिहरी गढ़वाल के पत्रांक–8/टी0बी0एम0/टी0बी0 एम0 (बजट 2003–2004) दिनॉक 01–05–2003 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय टैम्पल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टिहरी गढ़वाल के मन्दिरों के प्रबन्ध हेतु रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यह यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल उपरोक्त मदों में व्यय होने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे। आगामी वर्ष की धनराशि तभी अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा, जब स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक पक्ष के भीतर शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– यदि उक्त स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो उस कार्य का आगणन बनाकर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

6– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–21–तीर्थाटन एवं धर्मस्व कार्यों के लिये अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–3026/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 01 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004–322 पर्य0/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– निदेशक, पर्यटन निदेशालय, पटेलनगर, देहरादून।
5– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, टिहरी गढवाल।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– वित्त अनुभाग–3।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

NIC
(30)